



सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या-पं0नि0 30-22/2018-427

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
किशनगंज।

पटना, दिनांक- 6.2.24

विषय:- जिला परिषद, किशनगंज के अध्यक्ष के रिक्त पद पर निर्वाचन के संबंध में।

प्रसंग:- आपका का पत्रांक 98/जि0पं0 दिनांक 25.01.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में आपका के प्रासंगिक पत्रांक 98 दिनांक 25.01.2024 द्वारा जिला परिषद किशनगंज के अध्यक्ष के रिक्त पद पर निर्वाचन कराये जाने का निर्देश दिया गया था।

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 121 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के संगत प्रावधानों तथा आयोग के पत्रांक 8964 दिनांक 18.12.2021 द्वारा निर्गत सामान्य दिशा-निर्देशों एवं गजट संख्या 638 तथा 639 दिनांक 31.08.2010 के अधीन जिला परिषद किशनगंज के अध्यक्ष के रिक्त पद पर दिनांक 23.02.2024 पया अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु विशेष बैठक की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना प्रपत्र 24 में ससमय निर्गत कर दी जाए तथा यह सुनिश्चित कराया जाए कि उक्त जिला परिषद के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सभी सदस्यों को सूचना दिनांक 15.02.2024 तक निश्चित रूप से प्राप्त हो जाए। निर्वाचन संपन्न हो जाने के तुरंत बाद उसी दिन निर्वाचित अध्यक्ष को सक्षम प्राधिकारी द्वारा शपथ ग्रहण भी करा दिया जाएगा।

4. अध्यक्ष के निर्वाचन की सम्पूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी सही समय एवं तिथि अंकित करते हुए की जाएगी। वीडियोग्राफी की एक प्रति आयोग को निर्वाचन के पश्चात दो दिनों के अन्दर उपलब्ध करा दी जायगी।

5. अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए आयोग को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वसभाजन,
06/02/24

विशेष कार्य पदाधिकारी।

पटना, दिनांक - 6.2.24

ज्ञापांक पं0नि0 30-22/2018-427

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार/अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना/आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया एवं पुलिस अधीक्षक, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/02/24

विशेष कार्य पदाधिकारी।

6.2.24